कौशल विकास संचालनालय

मध्यप्रदेश

–: आदेश :–

क्रमांक कौविसं/स्थाप–प्र/सामा–203(2)/2011/ /जबलपुर, दिनांक

/मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को उनके अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 9300–34800 + रू0 3200/– ग्रेड पे एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन द्वारा मान्य है, पर दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए निम्न शर्तो पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :–

1. परीवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण अधिकारी (ट्रेड, ड्राईंग, गणित ,एलाइड) को डी.जी.ई.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (ए.टी.आई/सी.टी.आई.) से एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, जिन व्यवसायों में एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण नहीं होता है और जिन व्यवसायों में यह प्रशिक्षण होता है किन्तु प्रशिक्षण अधिकारी को पांच वर्ष का अनुभव हो गया है उन्हें डी.जी.ई.टी. के संस्थानों से तीन माह का प्रिंसिंपल्स ऑफ टीचिंग कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा । यदि वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उनकी सेवाएँ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8(6) के अनुसार नियमित की जाकर उनकी रूकी हुई सभी वेतनवृद्धियां प्राप्त हो जावेगी ।
2. शासन द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर कोई उम्मीदवार किन्हीं भी कारणों से प्रशिक्षण पूर्ण न कर बीच में वापस होता है तो उस पर शासन द्वारा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय वेतन एवं भत्तों सहित वसूली योग्य होगा ।
3. परीवीक्षा अवधि में उनकी सेवाएँ कभी भी बिना कारण बताये एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकती है ।
4. कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवाएँ छोड़ना चाहते है तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा । इसी तरह यदि विभाग सेवाएँ समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवाएँ समाप्त कर सकेगा ।
5. कार्यग्रहण के समय चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा ।
6. यदि किसी उम्मीदवार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन.जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेगी और उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा ।
7. उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 12 (1)(क) के अनुसार व्यापम भोपाल से प्राप्त चयनित सूची की मेरिट अनुसार होगी ।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.05 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना लागू होगी म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे ।

स0 क0	उम्मीदवार का नाम,पिता/पति का नाम एवं पता (सर्वश्री)	आरक्षित/ अनारक्षित	व्यवसाय का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5
1	शैलेन्द्र कुमार मेश्राम आत्मज श्री बेनीराम मेश्राम, द्वारा एस.के. वंरोड, वार्ड न. –2, भटेरा चौकी, आरा मील के पास, बालाघाट 481001 म.प्र.	अनुसूचित जाति	विद्युतकार	बरघाट (सिवनी)

स0 क0	उम्मीदवार का नाम,पिता/पति का नाम एवं पता (सर्वश्री)	आरक्षित/ अनारक्षित	व्यवसाय का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
2	जयमाला नागले आत्मजा श्री भीमराव नागले, द्वारा ए.एल. नागले, बारस्कर कॉलोनी, महावीर वार्ड बैतूल म.प्र. 460001	अनुसूचित जाति (अना के विरूद्ध)	टर्नर	होशंगाबाद
3	भदू सोनार, आत्मज श्री शांताराम सोनार क्वाटर न. एफ/619, एम.पी.ई.बी. कॉलोनी, प्रकाश नगर, मंगठार, बिरसिंहपुर, पॉली, जिला उमरिया म. प्र. 484552	अ.पि.वर्ग	फिटर	इटारसी
4	रनिता गढवाल आत्मजा श्री विष्णुप्रसाद गढवाल, क्वाटर्र न.–10, टाईप–II, केन्द्रीय कृषि मशीनरी, प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, ट्रेक्टर नगर बुदनी, जिला सीहोर म.प्र. 466445	अनुसूचित जाति	रिपेयर मेंटेनेंस एंड ओव्हरहॉलीग आफ टेक्टर (एग्रीकल्चर मशीनरी सेक्टर) पोस्ट कोड–35	राघौगढ़
5	वेदलाल महरा आत्मज श्री दरोगा प्रसाद महरा, सी. एम.पी.डी.आई. केम्प, लटोरी, बनियापारा, बनारस रोड, ग्राम पोस्ट लटोरी, थाना जयनगर, अंबीकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ 497001	अनुसूचित जाति (भूतपूर्व सैनिक के विरूद्ध)	कम्प्यूटर नेटवर्किंग (इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी सेक्टर) पोस्ट कोड–20	आदर्श भोपाल
6	अनिल कुमार अहिरवार आत्मज स्व. श्री सोनीलाल अहिरवार, पुराने पोस्ट आफीस के पीछे, नई बस्ती, निवाड़ी, जिला टीकमगढ म.प्र. 472442	अनुसूचित जाति	बेसिक इंस्ट्रूमेंशन (प्रोसेस प्लांट मेंटेनेंस सेक्टर) पोस्ट कोड–35	सागर
7	रितेश वाल्टर कुजूर आत्मज श्री जेराल्ड कुजूर, 73 ताराणी कॉलोनी, वनमण्डल देवास म.प्र. 455001	अनुसूचित जनजाति (अना के विरूद्ध)	सी.ए.डी.सी.ए.एम (कैड केम) प्रोडक्शन मेन्यूफेक्चरिंग पोस्ट कोड–55	देवास

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है ।

अतिरिक्त संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश

कार्यालय का नया पता : कौशल विकास संचालनालय, सॉई मंदिर के सामने, नर्मदा रोड, जबलपुर–482008
दूरभाष क्र. 0761–2661021, 4079528 वेबसाईट www.mpdt.nic.in ई मेल : dttrgjbp@gmail.com

D:\Hemant 2016

क्रमांक कौविसं/स्थाप–प्र/सामा–203(2)/2011/ 3203 /जबलपुर, दिनांक 1/6/11

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, भोपाल ।
4. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, इंदौर ।
5. प्राचार्य/संस्था प्रमुख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बरघाट (सिवनी), होशंगाबाद, इटारसी, सबौसद, आदर्श भोपाल, सागर, देवास मध्यप्रदेश । चयनित उम्मीदवार का चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करें । संबंधित उम्मीदवार के कार्यग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक, अनुभव, जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करें संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रति संचालनालय को भेजें ।
6. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ । निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छाया प्रति सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें । आपको आदेश जारी होने के 20 दिन के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
8. स्टेनो संचालक/अतिरिक्त संचालक एवं संयुक्त संचालक संचालनालय कौशल विकास विभाग मध्यप्रदेश जबलपुर ।
9. अधीक्षक/स्थापना/गोपनीय/बजट/पदक्रम सूची अनुभाग प्रभारी, संचालनालय कौशल विकास विभाग मध्यप्रदेश जबलपुर ।

अतिरिक्त संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश